न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 251/2016
पंजीयन दिनांक 28.07.2016

(1). दिनेशचन्द्र उर्फ दिनेश पिता रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रमेशचन्द्र पिता रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). जानीबाई पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). राकेश पिता नन्दलाल जाति सेन निवासी मीठाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). शंकरलाल पिता नन्दलाल जाति सेन निवासी मीठाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). कुलसुम पत्नी गुलाब नबी लौहार जाति मुसलमान निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). नीरजकुमार पिता दिनेशकुमार शर्मा निवासी कुंभानगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). रमेशचंद्र पिता भवानीशंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(6). चन्द्रप्रभा पत्नी कमलकिशोर काबरा निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(7). मोहम्मद शरीफ पिता मोहम्मद युसुफ लौहार निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(8). मोहम्मद उस्मान पिता अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(9). फारूख अहमद पिता गुलाबनबी छीपा मुसलमान निवासी छीपा मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(10). पी टी वर्गीस पिता पी जी जोसम निवासी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(11). महिपालसिंह पिता जातरसिंह जाति यादव निवासी अनवरगंज।
(12). कमलकिशोर पिता कन्हैयालाल काबरा निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(13). राजश्री चपलोत पिता पी सी चपलोत निवासी उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर।
(14). भैरुलाल पिता लादूराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(15). दशरथ पिता अमृतलाल शर्मा निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(16). सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(17). उपपंजीयक चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 19/2016 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस–(1). दिनेश शर्मा–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 16 व 17

प्रकरण संख्या–डिक्री 381/2016
पंजीयन दिनांक 29.09.2016

(1). दिनेशचन्द्र उर्फ दिनेश पिता रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रमेशचन्द्र पिता रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). जानीबाई पुत्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांटगण

बनाम

(1). राकेश पिता नन्दलाल जाति सेन निवासी मीठाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). शंकरलाल पिता नन्दलाल जाति सेन निवासी मीठाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). कुलसुम पत्नी गुलाब नबी लौहार जाति मुसलमान निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). नीरजकुमार पिता दिनेशकुमार शर्मा निवासी कुंभानगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). रमेशचंद्र पिता भवानीशंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(6). चन्द्रप्रभा पत्नी कमलकिशोर काबरा निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चित्तौड़गढ़।

(7). मोहम्मद शरीफ पिता मोहम्मद युसुफ लौहार निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(8). मोहम्मद उस्मान पिता अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(9). फारुख अहमद पिता गुलाबनबी छीपा मुसलमान निवासी छीपा मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(10). पी टी वर्गीस पिता पी जी जोसम निवासी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(11). महिपालसिंह पिता जातरसिंह जाति यादव निवासी अनवरगंज।

(12). कमलकिशोर पिता कन्हैयालाल काबरा निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(13). राजश्री चपलोत पिता पी सी चपलोत निवासी उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर।

(14). भैरूलाल पिता लादूराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(15). दशरथ पिता अमृतलाल शर्मा निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(16). सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(17). उपपंजीयक चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 19/2016 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1). दिनेश शर्मा–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). छोगालाल जाट, राकेशपुरी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 15–बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 16 व 17

दिनांक 30.08.2022

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ओछड़ी तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 42 मे दर्ज आराजी संख्या 1210/415 रकबा 0.86 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का वर्णित संयुक्त खातेदारी ... 1/224 हक हिस्सा एवं वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/77 हक

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

व हिस्सा निहित है, शेष हक हिस्सा अपीलांटगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 का अलग-अलग निहित होकर सभी ने अपने-अपने हक हिस्से अनुसार आपसी विभाजन कर रखा है व उसी अनुसार अलग-अलग काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिससे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 पूर्व मे हुए बंटवाड़े के अनुसार ही विभाजन कराये जाने के अधिकारी होने से वादपत्र बंटवाड़ा कृषि आराजीयात पेश है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण ने अलग-अलग खातेदारान की कृषि आराजीयात को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है व उसी अनुसार वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। फिर भी प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करवाये बिना ही उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात को खुर्द-बुर्द व हस्तान्तरण व रूपान्तरण करना चाहते है व बिना रूपान्तरण की कार्यवाही कराये विवादित आराजीयात पर अवैध निर्माण करवाना चाहते है जिनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक होने से वादपत्र बंटवाड़ा कृषि आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा पेश है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.05.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर ओछड़ी मे रखी जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 29.08.2016 तहसीलदार चित्तौड़गढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 व 11 ने प्रथम अपीले इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 व 11 की ओर से प्रस्तुत अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री एक ही पत्रावली मे होकर दोनो अपीलों मे समान पक्षकार व समान विषयवस्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होने से दोनो अपीलों मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलीयों मे संलग्न की जावे।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 व 11 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील व जवाबदावे हेतु नियत था इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गावों के संग अभियान मे अपरिपक्व पत्रावली को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना तामील व बिना लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। व उसके पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे दिनांक 15.07.2016 को अपीलांटगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, जिस पर बिना प्रतिवादीगण को सुने अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2019 पेज 236, आर.आर.डी. 2011 पेज-558, आर.आर.डी. 2011 पेज 581, आर.आर.डी. 2011 पेज-231 प्रस्तुत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री को अवैधानिक होना बताते हुए निरस्त करने का निवेदन किया व अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2018 पेज 97, आर.आर.डी. 2014 पेज 758, आर.आर.डी. 2015 पेज 449, आर.आर.डी. 2017 पेज 395, आर.आर.डी. 2016 पेज 337 प्रस्तुत कर अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोनो निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार है व सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के विभाजन का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए राज्य सरकार के द्वारा लोक अदालत का गठन किया गया। उक्त पत्रावली भी लोक अदालत मे नियत की जाकर बंटवाड़े की मौके पर काबिज अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की उसके पश्चात उक्त कृषि आराजीयात के संबंध मे फर्द बंटवाड़ा लिया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । फर्द बंटवाडे पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुना जाकर फर्द बंटवाड़ा विधि सम्मत होने से अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 9, 10, 11 गलत तथ्यों के आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिकी एवं अन्तिम निर्णय व डिकी के विरूद्ध अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। अन्त मे दोनो अपीले निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 16 व 17 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निणर्य व डिक्री दिनांक 19.05.2016 एवं अन्तिम निर्णय व डिकी दिनांक 29.08.2016 को विधि सम्मत होना बताते हुए दोनो अपीले निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से अपीलांटगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प ओछड़ी मे नियत की गई जिसमे अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टगण को बिना सूचना दिये अपरिपक्व वादपत्र मे दिनांक 19.05.2016 को बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 व 11 को बिना सुने मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व उक्त प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे जो बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया वह पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 व 11 की अनुपस्थिति मे तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व उसी फर्द बंटवाड़े के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 29.08.2016 को पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत दोनो अपीले अपील कमाक डिकी 251/2016 व अपील कमांक डिकी 381/2016 स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण 9 से 11 स्वीकार की जाकर प्राथमिक निर्णय व डिकी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कमांक डिकी 251/2016 व अंतिम निर्णय व डिकी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कमांक 381/2016 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 19.05.2016 व अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 29.08.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्षकारान को सुनवाई व जवाबदावे का समुचित अवसर प्रदान कर जवाबदावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विधि अनुसार तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे व प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना कर फर्द बंटवाड़ा लिया जाकर अंतिम निर्णय व डिकी पारित की जावे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 21.09.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे। निर्णय की एक-एक प्रति अपील कमांक डिकी 251/2016 एवं डिकी 381/2016 के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)